

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक न . 551 / 905

दिनांक :- 17/11/2017

कार्यालय आदेश

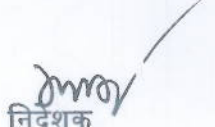
श्री /श्रीमती / सुश्री जहान सिंह [लिंक नं. 551] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, पहाड़ी, भरतपुर - [13458] जिनकी जन्म तिथि 28/02/1958 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30/11/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 30/11/2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री जहान सिंह की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 23/01/1984 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री जहान सिंह के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


निदेशक

क्रमांक :- प 2 (क)/अलेसे । लिंक न . 551 / 905

दिनांक :- 17/11/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, पहाड़ी, भरतपुर
4. कोषाधिकारी भरतपुर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री जहान सिंह [551] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, पहाड़ी, भरतपुर
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट



(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)